न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर

(56)

(443)

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
10 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
विलोपित

सत्यनारायण तिवारी आयु करीब 45 वर्ष
आ0 स्व. श्री रामेश्वर प्रसाद तिवारी
निवासी ग्राम खरगावली ढाना
तह0 बाबई जिला होशंगाबाद ————————————अपीलार्थी / याचिकाकर्ता

निग0 3803–PBR/16

बनाम

श्री दिवाकर दीक्षित एड. द्वारा आज दि. 4-11-16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 4-11-16

दिवाकर दीक्षित (एड) 4-11-16

1 विनोद कुमार शर्मा आ0 श्री देवकरण
निवासी वार्ड न. 08 सिवनीमालवा जिला होशंगाबाद
2 विपिन कुमार तिवारी
3 आशुतोष तिवारी आ0 श्री चन्द्रमोहन तिवारी
दोनों निवासी ग्राम खरगावलीढाना
तह0 बाबई जिला होशंगाबाद————————————उत्तरवादीगण

पुनर्रीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म. प्र. भू राजस्व संहिता :–

याचिकाकर्ता यह पुर्नरीक्षण याचिका न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय बाबई जिला होशंगाबाद द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक 44/अ–6 वर्ष 2012–13 ग्राम खरगावली ढाना जिसके पक्षकार विपिन कुमार तिवारी व अन्य बनाम विनोद शर्मा व अन्य है मे पारित आदेश दिनांक 27.09.2016 से क्षुब्द एवं व्यथित होकर निम्न आधारों पर प्रस्तुत करता है।

//प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य//

याचिकाकर्ता की ओर से न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय बाबई जिला होशंगाबाद के समक्ष एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 109 ,110 म. प्र. भू राजस्व संहिता के अधीन उत्तरवादीगण के विरूद्ध कृषि भूमि स्थित ग्राम खरगावली ढाना तह0 बाबई जिला होशंगाबाद जिसका खसरा न. 363/13 रकवा 1.691 हे0 के नामांतरण हेतु प्रस्तुत किया गया। जो अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय बाबई जिला होशंगाबाद के समक्ष लंबित है। उक्त प्रकरण के लबित रहने के बाद भी इस याचिकाकर्ता ने न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय बाबई जिला होंशगाबाद के समक्ष इस प्रकरण में एक आपत्ति अंतर्गत धारा 32 म. प्र. भू राजस्व संहिता के अधीन प्रस्तुत की तथा साथ ही एक आवेदन पत्र वास्ते प्रकरण को समेकित कर एकीकृत रूप से निराकृत किये जाने बाबद पेश किया जो कि लबित है साथ ही याचिकाकर्ता ने एक आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया सहिता के आधीन उक्त नामातरण प्रकरण जो कि उत्तरवादीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया है को व्यवहार न्यायालय में लबित व्यवहार वाद कमांक 20–अ/2016 के अतिम निराकरण तक स्थगित किये जाने बावत प्रस्तुत किया था जो कि माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 27.09.2016 को निरस्त [illegible]

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3803-पीबीआर/2016 जिला होशंगाबाद

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-03-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो । अध्यक्ष	